अपने अधिकार जानें

यथोचित आवास का अधिकार

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

अपने अधिकार जाने श्रृंखला

यथोचित आवास का अधिकार

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
फरीदकोट हाऊस, कॉपरनिक्स मार्ग
नई दिल्ली –110001

अपने अधिकार जाने श्रृंखला :

यथोचित आवास का अधिकार

इस प्रकाशन का आशय, मूल मानव अधिकारों को बेहतर रूप से समझने में पाठकों की सहायता करना है।

© 2011, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत

प्रकाशक : राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, फरीदकोट हाउस कॉपरनिक्स मार्ग, नई दिल्ली–110001

प्रिंटर्स : वीरेंद्रा प्रिंटर्स, हरध्यान सिंह रोड करोल बाग, नई दिल्ली –110005

यथोचित आवास का अधिकार

प्रस्तावना

आवास संबंधी मानव अधिकार का अर्थ है सुरक्षा, शांति तथा गरिमा के साथ यथोचित आवास में रहना। आवास संबंधी अधिकार का अर्थ केवल सिर पर छत का होना नहीं है बल्कि यह अधिकार एक ऐसे सुलभ वातावरण की अपेक्षा करता है जो व्यक्तिगत जगह, सुरक्षा, यथोचित रोशनी तथा हवा, सुरक्षित अवसंरचना, मौसम से बचाव तथा कार्य एवं मूलभूत सुविधाओं के संबंध में उचित अवस्थिति जैसी मूलभूत मानवीय आवश्यकताओं को एक वहनीय लागत पर पूरा करता हो। जैसा कि उल्लेख किया गया है, लोगों का सुरक्षित तथा स्वस्थ वातावरण एवं आवास में रहना सुनिश्चित करने के लिए बहुसंख्यक कारक अपेक्षित हैं। सभी को वहनीय यथोचित आवास उपलब्ध करवाना, सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। दृष्टिकोण में आया परिवर्तन, जो मानव अधिकारों की आर्थिक–सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों के साथ–साथ नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार, दोनों की अंतःसंबंधी प्रवृत्ति को मान्यता देता है, तथा परियोजना आधारित लाभ संबंधी दृष्टिकोण की जगह मानव अधिकार आधारित दृष्टिकोण, सभी के लिए यथोचित आवास के लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होगा।

आवासहीनता – यह क्या है

आवासहीनता, व्यक्तियों की वह स्थिति तथा सामाजिक श्रेणी है जिनके पास आवास नहीं है, क्योंकि वे एक नियमित, सुरक्षित, तथा यथोचित आवास वहन नहीं कर सकते हैं, या अन्यथा उसका रखरखाव नहीं कर सकते हैं।

आवासहीन कौन हैं

आवासहीन व्यक्ति को तीन श्रेणियों में परिभाषित किया गया है। सामान्यतः इस शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के बारे में किया जाता है जिनके पास एक नियत, नियमित या यथोचित रात्रि आवास न हो; तथा ऐसे व्यक्ति जिनके पास ऐसा प्राथमिक रात्रि आवास हो :

1. जिसका संचालन सार्वजनिक रूप से किया जाता हो या जिसे अस्थाई आवास उपलब्ध कराने के लिए निजी रूप से डिजाइन किया गया हो

(कल्याणकारी होटल, संगठित आवास तथा मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्तियों के लिए संक्रातिक आवास शामिल हैं)।

2. ऐसा संस्थान जो इंस्टीटयूशनलाइज्ड होने की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों को अस्थाई आवास उपलब्ध कराता है, या
3. ऐसा सार्वजनिक या गैर–सार्वजनिक स्थान जो आवास के आशय से नहीं बनाया गया हो लेकिन जिसका उपयोग व्यक्तियों द्वारा सामान्यतः नियमित रूप से सोने के स्थान के रूप में किया जाता है।

आवासहीनता – तथ्य

आवास, मानव की मूलभूत आवश्यकता है, फिर भी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के वर्ष 2005 के आंकड़ों में एक अनुमान के मुताबिक 100 मिलियन लोग– अर्थात विश्व की जनसंख्या का एक चौथाई भाग–आवासहीन हैं या अस्वस्थ एवं अमानवीय परिस्थितियों में जीवन व्यतीत करते हैं।

भारत में आवासहीनता

1 बिलियन से भी अधिक जनसंख्या के साथ भारत विश्व में जनसंख्या के मामले में दूसरे स्थान पर है। यू0एन0 हैबिटेट के अनुसार दक्षिण–एशिया में मलिन बस्तियों में रहने वालों का 63 प्रतिशत भाग भारत में रहता है। यह आंकड़ा लगभग 170 मिलियन लोग हैं जो विश्व भर में मलिन बस्तियों में रहने वालों का 17 प्रतिशत है। हालांकि भारत की प्रतिव्यक्ति आय में बढ़ोत्तरी हो रही है फिर भी विश्व में यह 124वें स्थान पर है। यह निम्न प्रतिव्यक्ति आय एक ऐसा कारक है जो भारत के धनी एवं निर्धन नागरिकों को गंभीर रूप से विभाजित करता है। भारत के 260 मिलियन लोगों (संयुक्त राज्य अमेरिका की लगभग कुल आबादी के बराबर) का लगभग 35 प्रतिशत भाग अभी भी प्रतिदिन सिर्फ 1 डॉलर या उससे कम कमाता है। जैसे–जैसे भारत आर्थिक मंच पर प्रगति कर रहा है, निर्धनता तथा शहरी आवासहीनता से निपटने में देश की क्षमता के बारे में और अधिक बहस शुरू हो गई है। वर्ष 2001 की जनगणना में उल्लेख किया गया था कि पूरे भारत में 78 मिलियन लोग घरों के बिना ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वो भी भीड़भाड़ वाले शहरी वातावरण में।

आवासहीनता को बढ़ावा/सहयोग देने वाले कारक

बहुत सारे कारक आवासहीनता को बढ़ावा देते हैं लेकिन इन कारकों को दो

श्रेणियों अर्थात संगठनात्मक समस्याओं तथा असुरक्षा बढ़ाने वाले व्यक्तिगत कारकों की श्रेणियों में रखा जा सकता है।

संगठनात्मक समस्याएं

- ❒ वहनीय आवास की कमी
- ❒ औद्योगिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के परिणामस्वरूप बेरोजगारी
- ❒ आय के संबंध में अपर्याप्त सहयोग
- ❒ मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं वाले मरीजों की भर्ती न करना तथा पारिवारिक एवं सामाजिक सहयोग का ह्रास

असुरक्षा बढ़ाने वाले व्यक्तिगत कारक

- – शारीरिक तथा मानसिक व्याधि
- – अक्षमता
- – वस्तुगत दुरुपयोग
- – घरेलू हिंसा
- – रोजगार हानि

आवासहीनता को कम करने का अर्थ इस प्रकार के मुद्दे को संबोधित करना है।

चूंकि आवासहीनता ऐसी विचारधारा है जिसमें व्यापक व्यक्तियों तथा परिस्थितियों को कवर किया जाता है इसलिए आवासहीनता में सहयोग करने वाले कारक भी व्यापक हैं। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं –

1. **निर्धनता –** आवासहीनता और निर्धनता एक–दूसरे से जुड़े हुए हैं। निर्धन लोग आवास, खाद्य पदार्थ, बच्चों की देखभाल, स्वास्थ्य देखभाल तथा शिक्षा पर खर्च करने की स्थिति में नहीं होते हैं।
2. **मादक पदार्थों के सेवन की आदत** – आंकड़े दर्शाते हैं कि आवासहीन लोगों में अल्कोहल और मादक पदार्थों का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक है। जो व्यक्ति निर्धन हैं तथा मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, उनका आवासहीनता संबंधी जोखिम सामान्यतः अधिक है।

3. **युद्ध** – इसके कारण अविश्वसनीय आवासहीनता हो सकती है।
4. बेरोजगारी – बेरोजगारी के कारण आय में कमी होती है तथा इसके फलस्वरूप आवासहीनता हो सकती है।
5. **तलाक** – पृथक्कीकरण (तलाक) के कारण परिवार का कोई भी सदस्य, चाहे वो मां, पिता या बच्चा हो, आवासहीन हो सकता है। आश्रित बच्चों सहित एकल अभिभावक को आवासहीनता का जोखिम अधिक होता है।
6. **प्राकृतिक आपदा** – चक्रवात, सुनामी तथा अन्य आपदाओं के कारण घरों/आवासों को नुकसान होता है तथा परिवार विस्थाापित हो जाते हैं और आवासहीनता की पीड़ा सहते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय विधिक उत्तरदायित्व

यथोचित आवास के अधिकार के संबंध में भारत का अंतर्राष्ट्रीय विधिक उत्तरदायित्व उन बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधियों के एक संग्रह में विनिर्दिष्ट है, जिनका भारत ने अनुसमर्थन किया है। इन दस्तावेजों में निम्नलिखित शामिल हैं – महिलाओं के प्रति हर प्रकार के भेदभाव को दूर करने संबंधी अभिसमय (सी ई डी ए डब्ल्यू), बच्चों के अधिकार के संबंध में अभिसमय (सी आर सी), हर प्रकार के जातीय भेदभाव को दूर करने के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय (आई सी ई आर डी) तथा आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय (आई सी ई एस सी आर)। इन सभी अभिसमयों के हस्ताक्षरकर्ता होने के नाते, भारत यह सुनिश्चित करने के लिए वचनबद्ध है कि इन अभिसमयों में विनिर्दिष्ट आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों को भारतीय समाज में संवर्धित और संरक्षित किया जाए।

"यथोचित आवास का अधिकार" विषय पर आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार (सी0ई0एस0सी0आर0) समिति की सामान्य टिप्पणी सं0 4, आई0सी0ई0एस0सी0आर0 के अनुच्छेद 11(1) में निहित अधिकार के प्रति न्यूनतम मूल दायित्व निर्धारित करता है। यह न्यूनतम मूल दायित्व निम्नानुसार है –

- ***पट्टे के सबंध में विधिक सुरक्षा :*** बलपूर्वक निष्कासन तथा उत्पीड़न के संबंध में सुरक्षा होनी चाहिए।
- ***सेवाओं, सामग्री, सुविधाओं तथा अवसंरचना की उपलब्धता*** : स्वास्थ्य, सुरक्षा, आराम तथा पोषण के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

इन सुविधाओं में सुरक्षित पेयजल, स्वच्छ निकासी, धुलाई सुविधाएं तथा खाना पकाने, गर्मी तथा रोशनी के लिए ऊर्जा आदि शामिल हैं लेकिन यह सूची यहीं तक सीमित नहीं है।

- ***वहनीयता*** : आवास पर होने वाला व्यय, आय के स्तर के अनुपात में होना चाहिए। मूलभूत आवश्यकताओं के साथ समझौता नहीं किया जाना चाहिए।
- ***निवास के योग्य*** : आवास में पर्याप्त जगह होनी चाहिए तथा तत्वों से सुरक्षा होनी चाहिए। बीमारियों तथा संगठनात्मक जोखिम के लिए सहायक परिस्थितियों को दूर किया जाना चाहिए।
- ***सुलभता*** : सभी को यथोचित आवास सुलभ होना चाहिए। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति के पास शांति एवं गरिमा के साथ जीवन व्यतीत करने के लिए सुरक्षित आवास सुलभ हो।
- ***अवस्थिति*** : आवास से, रोजगार के विकल्पों (जीविका का अधिकार), स्वास्थ्य सेवाओं, विद्यालय तथा अन्य सामाजिक सुविधाओं आदि तक पहुंच सुलभ होनी चाहिए।
- परिवहन के संबंध में परिवारों पर अधिक वित्तीय बोझ या सामयिक मांग नहीं होनी चाहिए।
- ***सांस्कृतिक उपयुक्तता*** : आवासीय विन्यास में सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के साथ समझौता नहीं होना चाहिए।

अधिकारों के इन न्यूनतम स्तरों की पूर्ति करने संबंधी राज्य के दायित्वों को मुश्किल बनाने में संसाधनों की कमी आड़े नहीं आनी चाहिए। इस उद्देश्य् के लिए सी0ई0एस0सी0आर0 (राष्ट्र पक्ष के दायित्वों की प्रकृत्ति) की सामान्य टिप्पणी सं0 3 में निर्देश दिए गए हैं कि *"प्रत्येक अधिकार का न्यूनतम आवश्यक स्तर सुनिश्चित करना प्रत्येक राष्ट्र पक्षकार का कर्तव्य है। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी राष्ट्र में बहुत सारे व्यक्ति आवश्यक खाद्य पदार्थों, आवश्यक प्राथमिक सेवाओं, मूलभूत आश्रय तथा आवास, या मूलभूत शिक्षा से वंचित हैं तो प्रथम दृष्टया वह राष्ट्र प्रसंविदा के तहत अपने दायित्वों का निर्वहन करने में असफल रहा है..चाहे उपलब्ध संसाधन प्रमाण्य रूप से अपर्याप्त ही क्यों न हो, राष्ट्र पक्षकार के यह दायित्व हमेशा रहेंगे"*।

इसके अतिरिक्त्, प्रसंविदा में उन सभी अधिकारों को क्रमिक रूप से मूर्तरूप देना चाहा गया है जो सामान्य टिप्पणी सं0 3 में दिए गए हैं :

"यह, जितना संभव हो सके उतनी जल्दी एवं प्रभावी रूप से इस लक्ष्य को प्राप्त करने के दायित्व को अधिरोपित करता है। इसके अतिरिक्त, इस संबंध में जानबूझ कर उठाए गए बेहतर से बदतर उपायों पर अधिक ध्यानपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है तथा प्रसंविदा में दिए गए अधिकारों की समग्रता के संदर्भ में तथा अधिकतम उपलब्ध संसाधनों के ईष्टतम प्रयोग के संदर्भ में पूर्णतः न्यायोचित ठहराने की आवश्यकता है"।

विधिक रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय मानव संधियों (अनुलग्नक क) के अलावा घोषणाओं, सिफारिशों तथा संकल्पों (अनुलग्नक ख) का भी एक संग्रह है। यह सामान्यतः आशय के दस्तावेज हैं जिन्हें अकसर "नरम कानून" के रूप में माना जाता है तथा अधिकांश मामलों में इस पर हस्ताक्षर करने वाले देशों पर इसका विधिक रूप से कोई बाध्यकारी दायित्व नहीं होता है। कुछेक मामलों में यदि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा किसी घोषणा या सिफारिश की विषयवस्तु को व्यापक मान्यता मिल जाती है तो वह घोषणा और/या सिफारिश एक बाध्यकारी कानून की शक्ति प्राप्त कर लेती है।

तदनुसार, न्यायालयों, विधायिका तथा कार्यकारी निकायों को निर्णय लेने, नीतियां बनाने तथा उन्हें लागू करने में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का अनुपालन करना चाहिए।

महिलाओं और बच्चों के अलावा लम्बे समय से वंचित एवं भेदभाव झेल रहे वर्गों, जिन्हें विशेष देख–रेख की जरूरत है, के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून में यथोचित आवास तथा भूमि संबंधी मानव अधिकार भी दिए गए हैं। विशेष वर्गों से संबंधित कुछ संगत अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दस्तावेज नीचे दिए गए हैं :–

क. विस्थापित मजदूर

- सभी विस्थापित मजदूरों तथा उनके परिवार के सदस्यों के अधिकारों के संरक्षण के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय, 1990
- विस्थापित मजदूरों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अभिसमय, 1949
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सामाजिक नीति (गैर–महानगरीय क्षेत्र) अभिसमय, 1947

ख. वृद्ध व्यक्ति

- सामान्य टिप्पणी सं0 6: 'वृद्ध व्यक्तियों के आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार', आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार समिति,

1996;

- वृद्ध व्यक्तियों के लिए संयुक्त राष्ट्र सिद्धांत, 1991, महासभा संकल्प 46/91;
- विकास में वृद्ध महिलाओं का एकीकरण, 1994, महासभा संकल्प 49/162.

ग. अक्षम व्यक्ति

- सामान्य टिप्पणी सं0 5: अक्षम व्यक्ति आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार समिति, 1994
- हर व्यक्ति द्वारा शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य के उच्च प्राप्य मानक प्राप्त करने संबंधी अधिकार, 2005, मानव अधिकार संकल्प् आयोग 2005/24
- अक्षम व्यक्तियों के अधिकारों पर घोषणापत्र 1975, महासभा संकल्प 3447(XXX)

घ. एच0आई0वी0/एड्स से पीड़ित लोग

- एच0आई0वी0/एड्स तथा मानव अधिकारों संबंधी अंतर्राष्ट्रीय दिशानिर्देश, 1997, मानव अधिकार संकल्प संबंधी संयुक्त राष्ट्र आयोग 1997/33
- ह्यूमन इम्यूमनोडेफिशयेन्सी वायरस (एच0आई0वी0) तथा एकवार्यड इम्यूनोडेफिशयेन्सी सिंडरोम (एड्स) के संदर्भ में मानव अधिकारों का संरक्षण, 2005, मानव अधिकार संकल्प आयोग 2005/84
- एच0आई0वी0/एड्स पर दृढ़संकल्प संबंधी घोषणापत्र, 2001, महासभा संकल्प एस–26/2

ङ. अल्पपसंख्यक (धार्मिक, भाषायी, जन्म आधार सहित)

- हर प्रकार के जातीय भेदभाव को दूर करने संबंधी अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय
- अनुच्छेद 27, सिविल तथा राजनीतिक अधिकारों संबंधी अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा, 1966
- सामान्य टिप्पणी सं0 23: अनुच्छेद 27 (अल्पसंख्यकों के अधिकार), मानव अधिकार समिति, 1994
- अभिसमय के अनुच्छेद 5 पर सामान्य टिप्पणी सं0 XX, जातीय भेदभाव उन्मूलन समिति, 1996
- अभिसमय (जन्म आधार) के पैरा 1, अनुच्छेद 1 संबंधी सामान्य सिफारिश सं0

XXIX, जातीय भेदभाव उन्मूलन समिति, 2002

- राष्ट्रीय या नृजातीय, धार्मिक तथा भाषायी अल्पसंख्यकों से संबंध रखने वाले व्यक्तियों के अधिकारों का घोषणापत्र, 1992, महासभा संकल्प 47/135
- डरबन घोषणापत्र, 2001, जातीय, नृजातीय भेदभाव, विदेशी भीति तथा संबंधित असहिष्णुता के विरूद्ध विश्व सम्मेलन, 2001
- राष्ट्रीय या नृजातीय, धार्मिक अल्पसंख्यकों से संबंधित व्यक्तियों के अधिकार 2005, मानव अधिकार संकल्प आयोग, 2005/79

च. देशज व्यक्ति

- देशज व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणापत्र, 2006
- स्वतंत्र देशों में देशज तथा जनजातीय व्यक्तियों संबंधी अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन अभिसमय, 1989
- देशज व्यक्तियों के अधिकारों पर सामान्य सिफारिश सं0 XXIII, नृजातीय भेदभाव उन्मूलन समिति, 1997
- मानव अधिकार तथा देशज मुद्दे, 2005, मानव अधिकार संकल्प आयोग 2005/51

छ. गैर–राष्ट्रिक/गैर–नागरिक

- ऐसे व्यक्तियों के मानव अधिकारों के संबंध में घोषणापत्र जो उस देश के राष्ट्रिक नहीं हैं जहां वे रह रहे हैं, 1985, महासभा संकल्प 40/144

ज. आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति

- सिद्धांत 14, 18, आंतरिक विस्थापन पर दिशानिर्देशक सिद्धांत, 1998, मानव अधिकार आयोग
- कॉपनहेगन घोषणापत्र, 1995, सामाजिक विकास पर विश्व सम्मेलन

राष्ट्रीय विधिक दायित्व

भारत में कुछेक संवैधानिक प्रावधान तथा कानून हैं जो अपने सभी नागरिकों के लिए यथोचित आवास उपलब्ध कराने के लिए राज्य को बाध्य करते हैं। भारत का संविधान स्वतंत्रता, बंधुत्व, समानता तथा न्याय के सिद्धांतों पर मजबूती से टिका

हुआ है। यथोचित आवास के संबंध में महिलाओं और बच्चों के अधिकारों सहित यथोचित आवास के आशय वाले संवैधानिक प्रावधानों की सूची निम्नानुसार है : –

क. मौलिक अधिकार

क. विधि के समक्ष समता (अनुच्छेद 14)

ख. धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध (अनुच्छेद 15(1))

ग. रक्षात्मक भेदभाव के सिद्धांत के आधार पर महिलाओं तथा बच्चों के लिए विशेष उपबंध (अनुच्छेद 15(3))

घ. रोजगार से संबंधित मामलों या राज्य के तहत किसी कार्यालय में नियुक्ति के सबंध में अवसरों की समानता (अनुच्छेद 16)

ङ. भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र अबाध विचरण का अधिकार (अनुच्छेद 19(1)(घ))

च. भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार (अनुच्छेद 19(1)(ङ))

छ. सभी नागरिकों को कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार (अनुच्छेद 19(1)(छ))

ज. प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार (अनुच्छेद 21)

ख. राज्य की नीति के निदेशक तत्व

क. पुरूष और स्त्री सभी के लिए समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने के अधिकार की दिशा में राज्य नीति बनाई जाए (अनुच्छेद 39(क))

ख. पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करने के लिए राज्य नीति लक्षित होनी चाहिए (अनुच्छेद 39(घ))

ग. यह सुनिश्चित करने के लिए कि पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हो, के लिए राज्य नीति (अनुच्छेद 39(ङ))

घ. समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए राज्य नीति ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी नागरिक न्याय प्राप्ति के अवसर से वंचित न रह जाए (अनुच्छेद 39– क)

ङ. राज्य द्वारा काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए उपबंध (अनुच्छेद 42)

च. राज्य द्वारा नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता सुनिश्चित करना (अनुच्छेद 44)

छ. पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार लाने का राज्य का कर्तव्य (अनुच्छेद 47)

ज. राज्य, संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि–बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का प्रयास करेगा (अनुच्छेद 51(ग))

ग. मूल कर्तव्य

- महिला की गरिमा के प्रति अपमानजनक प्रथाओं का परित्याग करना राज्य तथा सभी नागरिकों का एक मूल कर्तव्य है (अनुच्छेद 51(क))

घ. संपत्ति का कानूनी अधिकार

- राज्य, कानूनी प्राधिकार को छोड़कर किसी भी पुरुष या महिला को उसके संपत्ति के अधिकार से वंचित नहीं करेगा (अनुच्छेद 300 क)

शीर्ष न्यायालय द्वारा की गई घोषणाएं/दिए गए निर्णय

ओल्गा टेलिस बनाम बम्बई नगर निगम (1985) 3 एस.सी.सी. 545 मामले में न्यायालय ने निर्णय दिया कि जीवन के अधिकार में जीविका का अधिकार शामिल है। वादकारियों ने दलील दी कि चूंकि उन्हें मलिन बस्तियों तथा पैदलपथ पर बने हुए ठिकानों से हटाने के कारण वे अपनी जीविका से वंचित हो जाएंगे इसलिए इस प्रकार से उन्हें हटाना उन्हें जीवन से वंचित करने के बराबर होगा और इसलिए यह असंवैधानिक है। तथापि, न्यायालय इतनी दूर तक जाने को तैयार नहीं था और यह कहते हुए दलीलों को दरकिनार कर दिया कि :

किसी भी व्यक्ति को अपेक्षित प्राधिकारों की अनुपस्थिति में निजी प्रयोजनों के लिए सार्वजनिक संपत्ति के उपयोग का अधिकार नहीं है और इसलिए यह दलील

देना गलत होगा कि पैदलपथ पर रहने वालों को पैदलपथ पर ठिकानों का निर्माण करके अतिक्रमण करने का अधिकार है..... यदि कोई व्यक्ति पैदलपथ पर अपना ठिकाना बनाता है, चाहे उसके उस कृत्य के पीछे कैसी भी आर्थिक बाध्यताएं क्यों न हों, उसके द्वारा पैदलपथ का इस तरह का उपयोग करना अप्राधिकृत होगा।

उच्चतम न्यायालय की बाद की पीठों ने ओल्गा टेलिस की उक्ति को अनुमोदन के साथ अपनाया। **दिल्ली नगर निगम बनाम गुरनाम कौर, (1989) 1 एस.सी.सी. 101** के मामले में न्यायालय ने निर्णय दिया कि दिल्ली नगर निगम को पैदलपथ पर अवैध ा निवास करने वाले को पुनर्वास के लिए वैकल्पिक दुकानें उपलब्ध कराने का कोई विधिक दायित्व नहीं है क्योंकि अवैध रूप से निवास करने वाले के पास कानूनी रूप से लागू करने योग्य कोई अधिकार नहीं है।

सोदान सिंह (1989) 4 एस.सी.सी. 155 मामले में उच्चतम न्यायालय की एक संविधान पीठ ने दोहराया कि इस प्रश्न का कि क्या किसी नागरिक के पास पैदलपथ पर किसी स्थान विशेष पर कब्जा करने, वहां अपना ठिकाना बनाने और व्यावसायिक गतिविधि करने का मौलिक अधिकार है, का उत्तर नकारात्मक ही होना चाहिए।

ये मामले ऐसी सामाजिक–आर्थिक बाध्यताओं के कारण बताने में विफल रहे हैं जो पैदलपथ पर निवास–निर्माण में बढ़ोत्तरी करते हैं तथा समस्या की जांच को मानव अधिकार दृष्टिकोण की बजाय पूर्णतः संवैधानिक दृष्टिकोण तक सीमित करते हैं।

सौभाग्य से न्यायालय द्वारा हाल ही में दिए गए एक निर्णय से एक भिन्न प्रकार की सोच सामने आई है। **अहमदाबाद नगर निगम बनाम नवाब खान गुलाब खान (1997) 11 एस.सी.सी. 123** मामले में अहमदाबाद शहर के एक व्यस्त इलाके में अतिक्रमणकारियों को हटाए जाने के संदर्भ में न्यायालय ने कहा :

सुविधाओं तथा अवसरों की कमी के कारण ग्रामीण एवं शहरी निर्धन लोगों के लिए आवास एवं अवस्थापन का अधिकार केवल स्वप्न मात्र है। अनुच्छेद 38, 39 तथा 46 राज्य को निदेश देते हैं कि वह आय तथा अवसरों एवं सामाजिक हैसियत की असमानताओं को कम करने के लिए अपनी आर्थिक नीति के रूप में सामाजिक–आर्थिक न्याय उपलब्ध कराए।

यह, सामाजिक–आर्थिक न्याय को मूर्त रूप देने, अर्थपूर्ण तथा लाभदायक बनाने, ताकि जीवन मानवीय गरिमा तथा सामाजिक हैसियत की समानता के साथ

जिया जा सके और उसमें सतत सुधार होता रहे, के लिए अनुच्छेद 46 में निहित उदारता को समाज के कमजोर वर्गों में वितरित करने के लिए राज्य को सकारात्मक प्रभार देता है। हालांकि किसी व्यक्ति को पैदलपथ, रास्ते या सार्वजनिक गलियों या किसी अन्य आरक्षित स्थान पर या सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए निर्धारित किसी स्थान पर अतिक्रमण करने तथा ढांचों का निर्माण करने या अन्यथा का अधिकार नहीं है लेकिन राज्य का यह संवैधानिक दायित्व है कि वह जीवन के अधिकार को अर्थपूर्ण बनाने के लिए उनके जीवन को स्थिर बनाने तथा उनके सिर पर छत उपलब्ध कराने के लिए अपने खजाने तथा संसाधनों के वितरण द्वारा पर्याप्त सुविधाएं तथा अवसर उपलब्ध करवाए।

लोगों को आवास उपलब्ध करवाने में सरकार के प्रयास

आवास एक ऐसा संघटक है जो मनुष्य के जीवित रहने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और इसलिए सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। ग्रामीण निर्धनों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रयासों के भाग के रूप में भारत सरकार **भारत निर्माण** का कार्यान्वयन कर रही है। ग्रामीण अवसंरचना का समयबद्ध तरीके से उन्नयन करने के लिए यह एक **फ्लैगशिप प्रोग्राम** है।

भारत निर्माण कार्यक्रम

ग्रामीण आवास, भारत निर्माण कार्यक्रम के छः घटकों में से एक घटक है। भारत निर्माण कार्यक्रम चरण–1 के तहत चार वर्षों अर्थात 2005–06 से 2008–09 के दौरान पूरे देश में इन्दिरा आवास योजना के माध्यम से 60 लाख मकानों के निर्माण की योजना बनाई गई थी। इस लक्ष्य की तुलना में 21,720.39 करोड़ रु0 की लागत से 71.76 लाख मकानों का निर्माण किया गया। अब इस लक्ष्य को दोगुना करते हुए चालू वर्ष 2009–10 से शुरू करते हुए अगले पांच वर्षों की अवधि के दौरान 120 लाख मकानों के निर्माण का प्रस्ताव है।

इन्दिरा आवास योजना (आई ए वाई)

इन्दिरा आवास योजना एक फ्लैगशिप ग्रामीण आवास योजना है। इसका आरम्भ 1985–86 के दौरान आर0एल0ई0जी0पी0 की एक उप–योजना के रूप में हुआ था। इसके पश्चात् अप्रैल, 1989 में जवाहर रोजगार योजना (जे आर वाई) के शुभारम्भ के बाद से इन्दिरा आवास योजना (आई ए वाई) को जवाहर रोजगार योजना की उप–योजना के रूप में जारी रखा गया। जवाहर रोजगार योजना की कुल

निधि का 6 प्रतिशत भाग इन्दिरा आवास योजना के कार्यान्वयन हेतु आबंटित किया गया। वर्ष 1993–94 से इन्दिरा आवास योजना के कार्यक्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले गैर अनुसूचित जातियों/गैर अनुसूचित जनजातियों के परिवारों को शामिल करते हुए विस्तार किया गया। इसके साथ–साथ योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जवाहर रोजगार योजना के तहत उपलब्ध कुल संसाधनों, निधियों का आबंटन भी इस शर्त पर 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया कि गैर अनुसूचित जातियों/गैर अनुसूचित जनजातियों से संबंधित गरीबों को दिया जाने वाला लाभ जवाहर रोजगार योजना के कुल आबंटन के 4 प्रतिशत से अधिक न हो। इन्दिरा आवास योजना को जवाहर रोजगार योजना से अलग कर दिया गया और 1 जनवरी, 1996 से इसे एक स्वतंत्र योजना बना दिया गया।

उद्देश्य

इन्दिरा आवास योजना का उद्देश्य मुख्यतः अनुसूचित जातियों/जनजातियों, मुक्त कराए जा चुके बंधुआ मजदूरों, गरीबी की रेखा से नीचे आने वाले अल्पसंख्यकों तथा गरीबी की रेखा से नीचे आने वाले गैर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के ग्रामीण परिवारों को एकमुश्त वित्तीय सहायता उपलब्ध करा कर आवासीय इकाईयों के निर्माण/उन्नयन में सहायता करना है।

लक्षित समूह

इन्दिरा आवास योजना के तहत आवास के लिए आने वाले लक्षित समूह में, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित, मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूर, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अल्पसंख्यक तथा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले गैर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के परिवार, विधवाएं/गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली अविवाहित महिलाएं तथा सैन्य कार्रवाईयों के दौरान मारे गए रक्षा कार्मिकों/अर्धसैनिक बलों के कार्मिकों के ग्रामीण इलाकों में रह रहे निकट संबंधी (चाहे उनके आय मापदंड जो भी हों), भूतपूर्व सैनिक तथा अन्य शर्तों को पूरा करने वाले अर्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त सदस्य आते हैं।

वित्तपोषण

इन्दिरा आवास योजना एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है जिसका वित्तपोषण भारत सरकार और राज्य सरकारों के बीच क्रमशः 75–25 के अनुपात में लागत

हिस्सेदारी के आधार पर किया जाता है। तथापि, पूर्वोत्तर राज्यों एवं सिक्किम के मामले में भारत सरकार और राज्यों के बीच निधियों की हिस्सेदारी का अनुपात क्रमशः 90–10 है। संघ शासित क्षेत्रों के मामले में इस योजना के तहत पूरी धनराशि भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।

वाल्मिकी अम्बेडकर आवास योजना (वी ए एम बी ए वाई)

वाल्मिकी अम्बेडकर आवास योजना का आरंभ दिसम्बर, 2001 में पर्याप्त आवासों के बिना गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले शहरी मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों की स्थिति में सुधार करने के लिए किया गया था। शहरी गरीब लोगों को केवल आवास ही नहीं बल्कि एक स्वस्थ एवं योग्य वातावरण उपलब्ध कराना भी उतना ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है ताकि उन्हें गरीबी के स्तर से बाहर लाने में उनकी मदद की जा सके।

योजना का प्राथमिक उद्देश्य मलिन बस्तियों में रहने वालों के लिए आवासीय इकाईयों का निर्माण तथा उन्नयन में सुविधा प्रदान करना तथा निर्मल भारत अभियान, जो योजना का एक घटक है, के तहत सामुदायिक शौचालयों के माध्यम से एक स्वस्थ एवं योग्य शहरी वातावरण उपलब्ध कराना है। केन्द्र सरकार 50 प्रतिशत की सब्सिडी उपलब्ध कराती है तथा शेष 50 प्रतिशत का प्रबंध राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

वाल्मिकी अम्बेडकर आवास योजना के लक्षित समूह में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य, जिनके पास यथोचित आवास नहीं है के साथ–साथ शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे वाले मलिन बस्तियों में रहने वाले लोग आते हैं। तथापि, गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को प्राथमिकता दी जाती है।

राष्ट्रीय आवासीय बैंक (एन एच बी)

नेशनल हाउसिंग बैंक अधिनियम, 1987 की प्रस्तावना में दिए गए एन0एच0बी0 के मूल कार्य निम्नानुसार हैं:

"..स्थानीय एवं क्षेत्रीय, दोनों स्तरों पर आवासीय वित्तीय संस्थानों के संवर्धन के लिए एक मुख्य एजेंसी के रूप में कार्य करना तथा ऐसे संस्थानों को वित्तीय एवं अन्य संबंधित मामलों या परिणामी मामलों में सहायता उपलब्ध कराना....."

एन0एच0बी0 ने ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादक आवास (पी एच आई आर ए) नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है जिसके तहत 70,000 रु0 का एक यौगिक ऋण दिया

जाएगा, जिसमें से 30 प्रतिशत की राशि आय सृजन गतिविधियों के लिए होगी तथा शेष राशि भूमि की खरीद सहित आवासीय इकाई तथा कार्यक्षेत्र के निर्माण के लिए होगी।

राष्ट्रीय शहरी आवास एवं हैबिटेट नीति (एन यू एच एच पी)

सभी के लिए वहनीय आवास के लक्ष्य को मूर्त रूप देने के लिए सरकारी क्षेत्र की निजी क्षेत्र, कोऑपरेटिव क्षेत्र, वित्तीय सेवा क्षेत्र, शहरी स्थानीय निकायों आदि के साथ विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक–निजी सहभागिता के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय शहरी आवास एवं हैबिटेट नीति (एन यू एच एच पी) 2007 में निहित रणनीति को पूरा करने के लिए सहभागिता के साथ वहनीय आवास की योजना को संचालित करने का लक्ष्य है। इसका आशय रोजगार के सृजन के लिए वहनीय आवास के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन प्रदान करना है, विशेषरूप से निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों के लिए तथा अन्य शहरी गरीबों के लिए जो आर्थिक मंदी के दौरान सबसे ज्यादा असुरक्षित वर्गों में से एक होते हैं। इसमें अन्य आर्थिक गतिविधियों पर पड़ने वाले आवास के गुणात्मक प्रभाव के माध्यम से बड़ी मात्रा में औद्योगिक वस्तुओं की मांग बढ़ाने का भी लक्ष्य है।

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी पुनःस्थापन मिशन (जे एन एन यू आर एम)

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी पुनःस्थापन मिशन, जो वर्ष 2005–06 से सात वर्ष की अवधि के लिए है, के दो मुख्य घटक हैं – शहरी गरीबों के लिए मूलभूत सेवाएं कार्यक्रम (बी एस यू पी) तथा एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम (आई एच एस डी पी)। शहरी गरीबों के लिए मूलभूत सेवाएं कार्यक्रम (बी एस यू पी) का आरंभ देश के 63 चुनिन्दा शहरों में शहरी गरीबों के लिए आवास एवं अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु शहरों एवं नगरों को सहायता देने के लिए किया गया था। एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम (आई एच एस डी पी) जिसका आरंभ दिसम्बर, 2005 में शहरी गरीबों के लिए मूलभूत सेवाएं कार्यक्रम (बी एस यू पी) के साथ ही हुआ था, गैर– बी0एस0यू0पी0 शहरों में आवासीय एवं मलिन बस्ती उन्नयन कार्यक्रमों को चला रहा है। वर्ष 2006–07 के 4,595 करोड़ रु0 के बजटीय प्रावधान की तुलना में वर्ष 2007–08 में 4,987 करोड़ रु0 का बजटीय प्रावधान किया गया है।

अनुलग्नक – क

क. बाध्यकारी दस्तावेज

क. अनुच्छेद 12, 25(1), मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, 1984

ख. अनुच्छेद 17, सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा, 1966

ग. अनुच्छेद 11(1), आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा, 1966

घ. अनुच्छेद 5, हर प्रकार के जातीय भेदभाव को समाप्त करने संबंधी अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा, 1965

ङ. अनुच्छेद 14, महिलाओं के प्रति हर प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने संबंधी अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा, 1979

च. अनुच्छेद 16.1, 19.1, 27, बच्चों के अधिकारों पर अभिसमय, 1989

छ. अनुच्छेद 9, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सामाजिक नीति (गैर–महानगरीय क्षेत्र) अभिसमय, 1947

अनुलग्नक – ख

ख. दिशानिर्देश / सिद्धांत / घोषणाएं

क. सामान्य टिप्पणी सं0 4 'यथोचित आवास का अधिकार' (प्रसंविदा का अनुच्छेद 11(1)), आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार समिति, 1991

ख. सामान्य टिप्पणी सं0 7 'यथोचित आवास का अधिकारः बलपूर्वक निष्कासन' (प्रसंविदा का अनुच्छेद 11(1)), आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार समिति, 1997

ग. सामान्य सिफारिश सं0 XIX: अभिसमय का अनुच्छेद 3, जातीय भेदभाव उन्मूलन समिति, 1995

घ. संयुक्त राष्ट्र महासभा संकल्प 43–181, संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आवासीय रणनीति वर्ष 2000, 1998

ङ. शरणार्थियों तथा अन्य विस्थापित व्यक्तियों के संदर्भ में आवास तथा संपत्ति संबंधी क्षतिपूर्ति, मानव अधिकार संकल्प उप–आयोग, 2002 / 7

च. भूमि अधिगम्यता तथा नियंत्रण के संदर्भ में महिलाओं को समान स्वामित्व तथा संपत्ति एवं यथोचित आवास के मामले में समान अधिकार, 2005, मानव अधिकार संकल्प आयोग 2005 / 25

छ. बलपूर्वक निष्कासन, मानव अधिकार संकल्प आयोग 1993 / 77, 1993

ज. सामाजिक प्रगति एवं विकास घोषणापत्र, 1969 महासभा संकल्प 2542 (XXIV)

झ. अनुच्छेद 8, विकास का अधिकार घोषणापत्र, 1986, महासभा संकल्प 41 / 128

ञ. सिद्धांत 1, संयुक्त राष्ट्र वृद्ध व्यक्ति सिद्धांत, 1991, महासभा संकल्प 46 / 91

ट. अनुच्छेद 21, शरणार्थियों की स्थिति संबंधी अभिसमय, 1951

ठ. मानव अवस्थापन पर वॅनकूवर घोषणापत्र, मानव अवस्थापन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (हैबिटेट I), 1976

ड. इस्ता्नबुल घोषणापत्र तथा हैबिटेट एजेंडा, मानव अवस्थापन (हैबिटेट II) पर द्वितीय संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, 1996

ढ. अनुच्छेद 10, कार्यान्वयन योजना, सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन, 2002

ण. सिद्धांत 18, आंतरिक विस्थापन पर निर्देशक सिद्धांत, 1998, मानव अधिकार आयोग

त. मार्गदर्शक 18, विकास आधारित विस्थापन के विषय पर संयुक्त राष्ट्र व्यापक मानव अधिकार दिशानिर्देश, 1997, बलपूर्वक निष्कासन की प्रथा पर विशेषज्ञों के सेमिनार द्वारा अंगीकृत, जीनिवा

थ. कामगारों के आवास के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सिफारिश सं0 115

द. अनुच्छेद 43.1, सभी विस्थापित कामगारों तथा उनके परिवार के सदस्यों के अधिकारों के संरक्षण के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय

ध. विकास आधारित निष्कासन तथा विस्थापन के संबंध में मूल सिद्धांत एवं दिशानिर्देश, मार्च 2006 (मानव अधिकार आयोग, ई/सी एन. 4/2006/41)

न. बलपूर्वक निष्कासन प्रथा : विकास आधारित विस्थापन पर व्यापक मानव अधिकार दिशानिर्देश, बलपूर्वक निष्कासन प्रथा जिनीवा पर विशेषज्ञों के सेमिनार द्वारा अंगीकृत, 11–13 जून 1997

न. खाद्य के अधिकार के क्रमिक कार्यान्वयन के लिए स्वैच्छिक दिशानिर्देश, विश्व खाद्य सम्मेलन 2002 (2004 में अंगीकृत)

प. एजेंडा 21, अध्याय 7 – सतत मानव अवस्थापन विकास संवर्धन – संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण तथा विकास सम्मेलन, 1992 में अंगीकृत

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

फरीदकोट हाऊस
कॉपरनिक्स मार्ग
नई दिल्ली– 110001

सुविधा केन्द्र (मदद): 011-23385368
मोबाईल नं. : 9810298900 (शिकायत के लिए)

फैक्स : (011): 23386521 (शिकायतें) 23384863 (प्रशासन)/
23382734 (जांच–पड़ताल)
ईमेल : covdnhrc@nic.in (General)/ jrlaw@nic.in(Complaints)
बेबसाइट : www.nhrc.nic.in

अपने अधिकार जानें

अपने अधिकार जानें

पर्याप्त आवास का अधिकार